



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249411
CG-DL-E-13102023-249411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 2023/आश्विन 21, 1945

No. 585]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2023/ASVINA 21, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2023

संख्या 59/2023- सीमाशुल्क

सा.का.नि. 738(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 55/2022- सीमा-शुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2022, जो संख्यांक सा.का.नि. 796(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, शर्त संख्या 5 के सामने प्रविष्टि में, "16 अक्टूबर, 2023" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2024" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/161/2023- टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना संख्यांक 55/2022- सीमा-शुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2022, जो संख्यांक सा.का.नि. 796(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना सं. 57/2023- सीमा-शुल्क, तारीख 29 सितम्बर, 2023, द्वारा संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 703 (अ), तारीख 29 सितम्बर, 2023, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2023

No. 59/2023-Customs

G.S.R. 738(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 55/2022-Customs, dated the 31st October 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 796(E), dated the 31st October 2022, namely:-

In the said notification, in the Annexure, in the entry against Condition number 5, for the figures, letters and words “16th day of October, 2023”, the figures, letters and words “1st day of April, 2024” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/161/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 55/2022-Customs, dated the 31st October 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 796(E), dated the 31st October 2022, and was last amended *vide* notification No. 57/2023-Customs, dated the 29th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 29th September, 2023.